न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :— महेन्द्र मीणा,आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 18 / 2016

वादीगण

1. रतनालाल पुत्र नाथुराम जाति मेघवाल निवासी आनंदपुरा तहसील कुचामन सिटी राज.

बनाम

प्रतिवादीगण

1. जीवणी देवी पत्नि श्री जगदीश प्रसाद जाति खटीक नि. जिलिया तहसील कुचामन,जिला नागौर
2. गोपीराम पुत्र श्री पेमाराम जाति मेघवाल निवासी आसनपुरा तहसील कुचामन सिटी, जिला नागौर
3. सन्तोष देवी पुत्री मोहनराम जाति नायक निवासी राणासर तहसील कुचामन सिटी, जिला नागौर
4. नारायणराम पुत्र हणमानराम जाति नायक निवासी राणासर तहसील कुचामन सिटी, जिला नागौर
5. केशरदेवी पत्नि प्रतापराम जाति नायक निवासी राणासर तहसील कुचामन सिटी, जिला नागौर
6. नरेंद्र कुमार पुत्र प्रतापराम जाति नायक नि. ग्राम राणसर तहसील कुचामन सिटी,जिला नागौर
7. नरपत कुमार पुत्र प्रतापराम जाति नायक निवासी राणासर तहसील कुचामन सिटीं, जिला नागौर
8. देवकुमार पुत्र प्रतापराम जाति नायक निवासी राणासर तहसील कुचामन सिटीं, जिला नागौर
9. हरेन्द्र कुमार पुत्र प्रतापराम जाति नायक नि0 राणासर तहसील कुचामन सिटी, जिला नागौर
10. झूंताराम पुत्र प्रभुराम जाति जाट नि0 आनन्दपुरा तहसील कुचामन सिटी, जिला नागौर राज0।
11. तुलछीराम पुत्र बुधाराम जाति मेघवाल नि0 ग्राम मिठडी तहसील नावां, जिला नागौर राज0।
12. धन्नाराम पुत्र पूसाराम जाति जाट नि0 राणासर तहसील कुचामन सिटी, जिला नागौर
13. झाबर लाल पुत्र दल्लाराम जाति जाट नि0 राणासर तहसील कुचामन सिटी, जिला नागौर
14. मोहनराम पुत्र लादुराम जाति कुमावत नि0 आसनपुरा तहसील कुचामन सिटी, जिला नागौर
15. गोपालराम पुत्र पेमाराम जाति कुमावत नि0 आसनपुरा तहसील कुचामन सिटी, जिला नागौर
16. प्रभूराम पुत्र रामूराम जाति जाट नि0 आनंदपुरा तहसील कुचामन सिटी, जिला नागौर राज0।
17. मेवाराम पुत्र भूराराम जाति जाट नि0 आनंदपुरा तहसील कुचामन सिटी, जिला नागौर राज0।
18. परमानन्द पुत्र रामलाल जाति जांगिड नि0 आनंदपुरा तहसील कुचामन सिटी,जिला नागौर राज0।
19. उदाराम पुत्र मानाराम जाति जाट नि0 लिखमासर तहसील कुचामन सिटी, जिला नागौर राज0।
20. जयनारायण पुत्र पूरणमल जाति गुर्जर नि0 राणासर तहसील कुचामन सिटी, जिला नागौर राज0।
21. हरिकिशन पुत्र भागीरथराम जाति जाट नि राणासर तहसील कुचामन सिटी, जिला नागौर राज0।
22. शंकरलाल पुत्र भागूराम जाति मेघवाल नि0 विजयपुरा तहसील मकराना, जिला नागौर राज0।
23. नेमीचन्द पुत्र भागूराम जाति मेघवाल नि0 ग्राम विजयपुरा तहसील मकराना, जिला नागौर राज0।
24. सोहनलाल पुत्र धन्नाराम जाति रेगर नि0 राणासर तहसील कुचामन सिटी, जिला नागौर
25. ज्ञानाराम पुत्र लादुराम जाति कुमावत नि. आसनपुरा तहसील कुचामन सिटी, जिला नागौर राज0।
26. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान।

वाद बाबत इस्तकरार हक, रेकार्ड दुरूस्ती व भू–विभाजन अन्तर्गत धारा 88,53

राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

उपस्थित :– बोदूराम चौधरी अधिवक्ता वादी की ओर से
श्री पुष्पेन्द्रसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी 22 23 की ओर से।

निर्णय

दिनॉकः– 30.1.2017

तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राथमिक डिक्री की पालना प्राप्त होने पर पत्रावली प्रस्तुत हुई । वकुलाय वादी उपस्थित । वकील वादी ने निवेदन किया कि प्राथमिक रिपोर्ट तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त हो गई है । निवेदन है कि माफिक प्राप्त रिपोर्ट अन्तिम डिक्री

फरमाई जावें । उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की अन्तिम डिक्री पर बहस सुनाई । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात प्राथमिक डिक्री दिनॉक 28.11.2016 एवं तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा स्कीम पत्रांक/भू.अ./18 दिनॉक 09.01.2017 का अवलोकन एवं वकील वकुलाय की बहस का मनन किया गया । मुताबिक प्राथमिक डिक्री दिनॉक 28.11.2016 अनुसार ***"ग्राम राणासर के खसरा नम्बर 193 रकबा 0.02 हैक्टर सम्पूर्ण मे से प्रतिवादी 1 से 9 का नाम हटाया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 207 में वादी के हिस्से 0.02हैक्टर तक प्रतिवादी 1 से 9 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, खसरा नम्बर 194 रकबा 0.8995 हैक्टर में से 0.18 हैक्टर तक प्रतिवादी संख्या 4 से 9 का नाम हटाया जाकर वादी रतनलाल पुत्र नाथूराम जाति मेघवाल निवासी आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 207 मे प्रतिवादी संख्या 4 से 9 को वादी के 0.18 हैक्टर पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 22 23 को खसरा नम्बर 207 मे 0. 0809 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 192 में से प्रतिवादी 22 23 का नाम हटाया जाता है शेष खाता बदस्तूर रहेगा।"*** मौका रिपोर्ट दिनॉक 27.12.2016 अनुसार वादी रतनलाल का कब्जा काश्त नजरी नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 193 रकबा 0.02 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 194 मे से 0.0727 हैक्टर कुल 0.0927 हैक्टर पर होना बताया है तथा खसरा नम्बर 207 मे 0.0809 हैक्टर पर प्रतिवादी संख्या 22 एवं 23 शंकरलाल नेमीचन्द पि. भूराराम जाति मेघवाल निवासी विजयपुरा तहसील मकराना का नजरी नक्शा अनुसार कब्जा काश्त होना बताया है। वकील वादी का कथन है कि उक्त अनुसार 0.0927 हैक्टर तथा शेष रकबा खसरा 207 मे 0.1073 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । प्रतिवादी वकील 22 23 ने कथन किया है कि उनका कब्जा काश्त मुताबिक मौका रिपोर्ट खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया, पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस एवं उपलब्ध तथ्यो मुताबिक वाद अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

आदेश

ग्राम राणासर के खसरा नम्बर 193 रकबा 0.02 हैक्टर सम्पूर्ण मे से प्रतिवादी 1 से 9 का नाम हटाया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा 207 में वादी के हिस्से

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

0.02 हैक्टर तक प्रतिवादी 1 से 9 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, खसरा नम्बर 194 रकबा 0.8995 हैक्टर में से 0.0927 हैक्टर तक प्रतिवादी संख्या 4 से 9 का नाम हटाया जाकर वादी रतनलाल पुत्र नाथूराम जाति मेघवाल निवासी आनन्दपुरा तहसील कुचामनसिटी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 207 मे प्रतिवादी संख्या 4 से 9 को वादी के 0.0927 हैक्टर पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तथा वादी को खसरा नम्बर 207 मे से शेष रकबे 0.1073 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इस प्रकार वादी रतनलाल के हिस्से में (0.02हैक्टर + 0.0923 हैक्टर + 0.1073 कुल 0.20 हैक्टर) का खातेदार दर्ज रहेगा। प्रतिवादी संख्या 22, 23 को खसरा नम्बर 207 मे 0.0809 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 192 में से प्रतिवादी 22, 23 का नाम हटाया जाता है शेष खाता बदस्तूर रहेगा। उपरोक्तानुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है बंटवारा स्कीम निर्णय का भाग रहेगी । तहसीलदार कुचामनसिटी को आदेश दिये जाते है कि उक्त अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करते हुए नक्शा ट्रेस में तरमीम करते हुए पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे ।बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी प्रस्तुत होने पर अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावें । तहसीलदार कुचामनसिटी को उक्त अनुसार पालना हेतु लिखा जावें ।

आदेश आज दिनॉक..30/11/17 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(महेन्द्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
सह-सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

30/01/17 वकील वादी उपस्थित। निर्णय खुले में लिखाया जाकर शामिल किया गया। पालना हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

वकील वादी के निवेदन पर पत्रावली तलब की गई। अंतिम डिक्री एवं निर्णय 30.1.17 में टंकणीय भूल से ग्राम [illegible] के ख.न. 194 रकबा 0.8895 हैक्टेयर में से 0.0927 हैक्टेयर एवं (0.02 + 0.0923 + 0.1073 कुल 0.2203) अंकित हुआ। जिन्हें दुरुस्त किया जावें। सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन से स्पष्ट है कि रकबा 0.0927 एवं 0.0923 सहवन से टंकणीय भूल के कारण लिखे हुए है। जिन्हें निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है।

ग्राम [illegible] के ख.न. 194 रकबा 0.8895 हैक्टेयर में 0.0927 हैक्टेयर तथा 0.0723 हैक्टेयर पढ़ा जावे। शेष निर्णय एवं डिक्री यथावत रहेगा। तहसीलदार कुचामन को इस आशय की तामील करावें।

उपखण्ड अधिकारी
एंव पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)